

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010पार्ट


जयपुर, दिनांक 12 MAY 2020

आदेश

भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 में भवन निर्माण संबंधी नियम 14(3) को कोविड-19 के मध्यनजर सक्षम स्तर से लिए गये निर्णय अनुसार विलोपित किया जाता है।


भवन निर्माण अवधि निकाय द्वारा जारी किये गये पट्टे/लीज-डीड के अनुसार मानी जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(मनीष मोयल)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
8. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर)।
9. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
10. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम